क्या वित्तायुक्त, राजस्व तथा सभी प्रशासनिक सचिव, हरियाणा सरकार कृपया उपरोक्त विषय पर हरियाणा सरकार के अनुदेशों जो उनके पत्र क्र0 2391-4 जी0एस0 II-72-13973 दिनांक 9-6-71 में हैं तथा जिन्हें पत्र क्रमां 6080-4 जी0एस0 II-71/33316 दिनांक 29-11-71 द्वारा दोहराया गया था की ओर ध्यान देंगे ? इन अनुदेशों यह संकेत किया गया था कि सरकारी कार्यालयों द्वारा अधीन सेवाएं प्रवरण मण्डल/लोक सेवा आयोग को भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पदों के सम्बन्ध में मांग पत्र भेजने से पहले भूतपूर्व सैनिकों के विशेष रोजगार सैल से इस आशय क परामर्श किया जाया करे कि जहां आवश्यक हो तो उन पदों की निर्धारित योग्यताओं में परिशोधन किया जाए ।

2. ऐसे उदाहरण ध्यान में आये हैं कि जिन में भूतपूर्व सैनिकों के विशेष रोजगार सैल को हवाला करने के पश्चात के मुख्य सचिव को मंत्रणा के लिए भेजे गए, क्योंकि सैल द्वारा दिया योग्यताओं में ढ़ील का सुझाव प्रशासनिक विभाग को मान्य नहीं था । इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी मंत्रणा के लिए केस मुख्य सचिव को भेजने की आवश्यकता नहीं अपितु सम्बन्धित प्रशासनिक सचिव द्वारा एसे मुआमलों पर स्वयं अंतिम निर्णय लिया जाना चाहिए ।

भवदीय,
हस्ता/-
उप सचिव , सामान्य प्रशासन
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

सेवा में

(1) सभी वित्तायुक्त, हरियाणा
(2) सभी प्रशासनिक सचिव, हरियाणा सरकार ।

आशा क्रमांक 2259-4 जी0 एस0 II-72 दिनांक 9-5-72